प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 871/2022

विनोद पांडे पिता दिनेश पांडे, 37 वर्ष , निवासी साकिन दुर्जाबंद कंडिका , वार्ड संख्या 15, पंडरिया, थाना– पंडरिया, जिलाःकवर्धा (कबीरधाम),छत्तीसगढ़

----अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य–पुलिस थाना पंडरिया के द्वारा , जिलाःकवर्धा (कबीरधाम),छत्तीसगढ़

----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :श्री अभिषेक बंजारे, अधिवक्ता

उत्तरवादी–राज्य हेतु :श्री शालीन सिंह बघेल, उप शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश के अनुसार

11.08.2025

अपीलकर्ता–अभियुक्त द्वारा सीआरपीसी की धारा 374(2) के तहत दायर यह आपराधिक अपील, सत्र विचारण क्रमांक 19/2019 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (सीजी) द्वारा पारित दोषसिद्धि तथा दंड के आदेश दिनांक 30/03/2022 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत अपीलकर्ता–अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार दंड पारित किया गया है:--

दोषसिद्धि	दंड
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत	आजीवन कारावास और 10,000/- रुपये का जुर्माना, न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत	2 वर्ष हेतु कठोर कारावास तथा रू.1000 का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।

1. (अ) प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह है कि दिनांक 07.02.2019 को परिवादी सुशील चंद शर्मा (पीडब्लू-3) ने थाना पंडरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम रहमानकांपा में उसके घर के पास एक अज्ञात महिला का शव दो टुकड़ों में अधजली अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके आधार पर क्रमशः प्र.पी-4 एवं प्र.पी-53 के तहत मर्ग एवं एफआईआर पंजीबद्ध किया गया था।अपराध का विवरण एक्स पी/ -6 के माध्यम से तैयार किया गया था।प्र.पी-6 एवं प्र.पी-31 के अनुसार घटनास्थल के नक्शे तैयार किये गये। अन्वेषण के दौरान, मृतका जमोत्री बाई के शव की पहचान हुई।अपीलार्थी को एक्स. पी.-55 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था तथा अपीलार्थी का बयान एक्स. पी-14 के माध्यम से दर्ज किया गया था।आरोप है कि दिनांक 04/02/2019 को अपीलकर्ता ने मृतक की पंडरिया स्थित अपने किराये के मकान में हत्या कर दी तथा शव को कई टुकड़ों में काटकर दोनों धड़ों को परिवादी के घर के पास फेंककर जलाने का प्रयास किया तथा मृतक के सिर, दोनों हाथ एवं दोनों पैरों को भी कोयले के ढेर में दफना कर जलाने का प्रयास किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(बी) ज्ञापन एक्स. पी.-14 के आधार पर, अपीलार्थी, जो विवाहित है, 2017 से मृतक के साथ प्रेम संबंध में था।04/02/2019 को, मृतका अपीलकर्ता से मिलने आई थी, जिस पर अपीलकर्ता ने उससे मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी पत्नी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है।जब अपीलकर्ता अकेले अपने घर पहुँचा, तो मृतका वहाँ भी आ गई, उसे मिलने के लिए मजबूर किया और उसे धमकी देने लगी कि वह उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देगी, जिसके कारण उनके बीच झगड़ा हुआ।उस के पश्चात् अपीलार्थी ने मृतक की उसके घर में गला दबाकर हत्या कर दी।अगले दिन अर्थात 05/02/2019, उसने मृतक के शव को विभिन्न हिस्सों में काट दिया तथा परिवादी पीडब्लू-3 के निर्माणाधीन घर के पास फेंक दिया।

2. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 41 साक्षीयों कि परीक्षा की और 80 दस्तावेज़ पेश किए।अपीलकर्ता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। आरोपी ने अपना अपराध अस्वीकार किया ; निर्दोष होने का दावा किया; और झूठे आरोप मे फंसाने का कथन किया है ।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे ऊपर वर्णित दंड पारित किया गया ,

जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें दोषसिद्धि के निर्णय और दंड के आदेश पर प्रश्न उठाया गया है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला हितबद्ध साक्षी के बयानों पर आधारित है और अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के विरुद्ध सभी उचित संदेहों से परे मामला साबित नहीं किया है।उन्होंने आगे कहा कि अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का कोई प्रमाण नहीं है और केवल अनुमान के आधार पर अपीलकर्ता के विरुद्ध एक झूठी कहानी गढ़ी गई है।उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और इसलिए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और दंड अनुमानों और अटकलों पर आधारित है।उन्होंने आगे कहा कि ज्ञापन और जब्ती के साक्षी मुकर गए हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। लेकिन उक्त तथ्य पर विचार किए बिना ही, विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया गया है। अतः, वर्तमान अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **राजा खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (सीआरए संख्या 70/2025)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रतिपक्ष, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने निर्णायक प्रकृति के साक्ष्य प्रस्तुत करके अपराध को उचित संदेह से परे सिद्ध कर दिया है।विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है, अतः वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

6. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

7. प्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मृतक की मृत्यु हत्या प्रकृति की थी, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक रूप में दर्ज किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी-79 पर विचार करते हुए, यह सिद्ध होता है कि मृत शरीर एवं शरीर के अन्य कटे हुए अंग एक महिला मानव के हैं जिसकी आयु 30 से 40 वर्ष के बीच है तथा सभी मानव अंग एक ही व्यक्ति के हैं तथा यह भी स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु किसी विष के सेवन के कारण नहीं हुई थी तथा मृत्यु आकस्मिक नहीं थी।डॉ. स्निग्धा जैन पीडब्लू-32 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मृतक की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक है।

8. शव परीक्षण रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा निम्नलिखित राय दी गई:---

1. एक अज्ञात महिला के सड़े हुए शरीर के दो हिस्से मिले।शरीर सूजा हुआ, सड़ा हुआ और बदबूदार था। दोनों शरीर के हिस्सों को जोड़ने पर पता चला कि वे एक ही शरीर के हिस्से हैं।

2. मृतक की गर्दन का ऊपरी भाग, दोनों हाथ व पैर की उंगलियों का निचला भाग, दोनों पैरों का निचला भाग गायब था, मृतक का पेट रीढ़ की हड्डी के एल-05, एल-06 के पास तथा गर्दन के लेबल सी-06, सी-07 तक बीच से कटा हुआ था, मृतक के शरीर में लगभग 1 सेमी के कीड़े मौजूद थे, उदर गुहा के अंग (आंतें व अंदर के अन्य भाग) बाहर से दिखाई दे रहे थे।आंतरिक परीक्षा मेंःदोनों फेफड़ों और हृदय में सड़न के लक्षण थे, पेट खाली था, छोटी आंत और बड़ी आंत कई टुकड़ों में बंटी हुई थी, जिगर में सड़न और दुर्गंध के लक्षण थे, दोनों गुर्दे कई टुकड़ों में कटे हुए थे।जननांगों में सूजन थी और गर्भाशय का निचला हिस्सा बाहर से दिखाई दे रहा था।मृतका की श्रोणि शिखा जुड़ी हुई थी।इसलिए उसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक रही होगी।समीक्षा रिपोर्ट मेंःमृतक को लगी चोटें किसी कठोर और धारदार हथियार से लगी थीं। पीड़िता की मौत के बाद उसके शरीर के अंगों को काट दिया गया था।अन्य तथ्यःमृतका के पोस्टमार्टम के दौरान योनि स्मीयर स्लाइड को सुरक्षित रखा गया था और एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, उसमें मानव शुक्राणु पाए गए थे।इसलिए मृत्यु से पहले संभोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

9. चिकित्सीय साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु के पश्चात उसके धड़ को किसी नुकीली एवं कठोर वस्तु से दो टुकड़ों में काटा गया था।मृतका के गर्दन का ऊपरी भाग सिर से अलग था, दोनों हाथ व पैर के निचले भाग तथा दोनों पैरों के निचले भाग धड़ से अलग थे, जिससे निर्णायक रूप से सिद्ध होता है कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई तथा उसकी मृत्यु के पश्चात अपराध एवं मृतका की पहचान छिपाने की नीयत से उसके शरीर के अंगों को धारदार हथियार से काटकर जलाया गया था।अतः, उपरोक्त साक्ष्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि मृतक महिला की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी।हमारा विचार है कि विद्वान विचारण न्यायालय का यह मानना पूर्णतः उचित है कि मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की है, क्योंकि यह साक्ष्यों पर आधारित तथ्य का सही निष्कर्ष है और न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है।तदनुसार, हम एतद्द्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।जहाँ तक मृतक के शव के होने का प्रश्न है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.जहां तक जमोत्री बाई का सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और सहायक रासायनिक परीक्षक डॉ. अपोलिना एक्का (पीडब्लू-41) ने बताया कि यह पुष्टि हो चुकी है कि मृतका की हंसली की हड्डी (ए-1), रेडियस हड्डी और दाढ़ के दांत (बी-1), बाल (सी-1) और बालों का गुच्छा (डी-1) जैविक मां (एफ-1) यानी इंद्री बाई के हैं। इस प्रकार, डॉ. अपोलिना एक्का द्वारा प्रस्तुत डीएनए रिपोर्ट से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि मृतक महिला का क्षत-विक्षत शरीर इंद्री बाई की जैविक पुत्री का है और डीएनए रिपोर्ट (एक्स.पी-76) पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है।

11.अब अगला प्रश्न यह होगा कि क्या यहां अभियुक्त अपीलकर्ता ही विचाराधीन अपराध का रचयिता है?
12.अ.सा.-3 सुशील चन्द्र शर्मा (परिवादी) ने अपने साक्ष्य में बताया कि दिनांक 07.02.2019 को ग्राम रहमानकांपा में उसके घर के पास एक शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना उसे उसी गांव के जुड़वन ने शाम

करीब 04:30 बजे फोन से दी, तब उसने कोटवार हरिराम के साथ अधजले शव को देखा, जिसका सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर गायब थे तथा धड़ दो टुकड़ों में पड़ा था, तब उसने थाना पंडरिया जाकर जांच प्रदर्श पी-4 दर्ज कराया और उसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पर आकर शव को अपने कब्जे में लिया।उन्होंने आगे बताया कि उनके घर के बगल में पड़ा शव किसी अज्ञात महिला का था, जिसे जलाने की कोशिश की गई थी तथा शव को तेज धार वाले हथियार से काटा गया था।

13. पीडब्लू-7 अनिल चंद्रवंशी, जो मृतक का पुत्र हैने अपने साक्ष्य में कहा कि वह अपीलकर्ता को जानता है जो तिवारी बस में कंडक्टर था।उन्होंने बताया कि अपीलकर्ता उनके घर के पास आया करता था।लगभग 7-8 महीने पहले, अपीलकर्ता रात को 7-8 बजे उनके घर आया था और उस समय उसकी माँ/मृतक ने उसे अपने भाई सुनील को बुलाने के लिए भेजा था और जब वह लगभग आधे घंटे बाद घर वापस आया, तो अपीलकर्ता जा चुका था।कुछ दिनों बाद, अपीलकर्ता अपनी माँ से मिलने फिर से उसके घर आया। उसने आगे बताया कि उसकी माँ/मृतक शारीरिक जाँच के लिए पंडरिया गई थी, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी।इसके बाद, उसके बड़े भाई और मामा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।कुछ दिनों बाद, उसे पता चला कि अपीलकर्ता ने उसकी माँ की हत्या कर दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14.पीडब्लू-16 प्रतिमा चंद्रवंशी ने अपने साक्ष्य में कहा किवह मृतक को जानती थी और तिवारी बस से पंडरिया आती-जाती थी।दिनांक 04.02.2019 को वह तिवारी बस से जमोत्री बाई/मृतक के साथ पंडरिया गई थी और पंडरिया पहुंचकर वह अपने स्कूल के पास उतर गई और जमोत्री बाई बस स्टॉप तक गई। इसके बाद वह स्कूल से अपने गांव भगतपुर चली गई, लेकिन जमोत्री बाई गांव वापस नहीं लौटी।उसने आगे बताया कि आरोपी विनोद पांडे तिवारी बस का कंडक्टर था और वे उसी बस से पंडरिया आते-जाते थे और उस दिन जमोत्री बाई ने चंद्रवंशी क्लिनिक पंडरिया जाने की बात कही थी।

15.पीडब्लू-4 रानू ने अपने साक्ष्य में कहा कि मृतक उसकी बड़ी सास है। वह अपीलकर्ता को भी जानती है, जो कंडक्टर के रूप में काम करता है।उसने आगे कहा कि अपीलकर्ता मृतक के पास आता था और फूल मांगता था, जिस पर मृतक अपीलकर्ता को फूल देता था।उसने आगे कहा कि वह हमेशा तिवारी बस में यात्रा करती थी और अपीलकर्ता हमेशा मृतक को नमस्ते और अलविदा कहता था।

16.पीडब्लू-29 नंदरानी चंद्रवंशी ने कहा है कि मृतक उसका डेढ़ सास था और उनके घर एक-दूसरे से सटे हुए हैं।उन्होंने आगे बताया कि अपीलकर्ता, जो कंडक्टर का काम करता है, मृतक के घर के पास बस रुकता था, जिसे मृतक अक्सर फूल देकर नमस्ते और अलविदा कहता था।घटना के दिन, मृतका अपना इलाज कराने के लिए अकेली पंडरिया गई थी, लेकिन वह वहाँ से वापस नहीं लौटी। उन्होंने आगे बताया कि मृतका का अपीलकर्ता के साथ अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी परिवार के अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सदस्यों को थी, लेकिन किसी ने भी अपीलकर्ता से झगड़ा या विवाद नहीं किया था और न ही पुलिस को अवैध संबंध की सूचना दी थी।

17. प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता की निशानदेही पर, उसके किराये के मकान अर्थात घटनास्थल से चार चूड़ियाँ जब्त की गईं और बंधा तालाब से एक महिला की चप्पल जब्त की गई।पहचान की कार्यवाही नायब तहसीलदार विनोद बंजारे (पीडब्लू-20) द्वारा की गई, जिन्होंने अपने बयान में उल्लेख किया है कि उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के पत्र क्रमांक-828/2019 दिनांक 19.04.2019 के अनुसार, एक महिला की एक पुरानी काली चप्पल और चार चूड़ियों के टुकड़े एक चप्पल और चूड़ी के साथ पहचान की कार्यवाही के लिए उनके पास लाए गए थे।जब्त सामान अर्थात चप्पलों की पहचान मृतक के पुत्र सुनील कुमार चंद्रवंशी अभियोक्ता-2 ने मृतक की चप्पलों के रूप में की।सुनील कुमार चंद्रवंशी अभियोक्ता-2 ने कंगन की पहचान की और बताया कि यह मृतक का है

18. मृतक के एक अन्य पुत्र सुनील चंद्रवंशी पीडब्लू-2 ने भी अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि चप्पल और कंगन के टुकड़ों की पहचान की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा तहसील कार्यालय पंडरिया में की गई थी, जिसमें उसने चप्पलों की पहचान अपनी माँ के रूप में की थी और इसी प्रकार कंगन की पहचान की कार्यवाही में भी उसने उसे अपनी माँ का बताया था और यह भी कहा था कि जिस चप्पल की उसने पहचान की थी उस पर सफारी लिखा था और जिस चूड़ी की पहचान उसने अपनी माँ के रूप में की थी वह हरे, सफेद और लाल रंग की थी जिसे वह अक्सर अपनी माँ को पहने हुए देखता था।इस प्रकार, यह साबित होता है कि अपीलकर्ता के कहने पर बरामद चप्पल और किराए के मकान यानी घटनास्थल से बरामद चूड़ियों के टुकड़े मृतका जमोत्री बाई के हैं और उक्त कार्यवाही और पी.डब्लू.-2 के बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

19. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को कब दोषी ठहराया जा सकता है, इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया है, जिसमें उसने उन शर्तों को रेखांकित किया है, जिन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पूरा किया जाना चाहिए और पैरा 153 में निम्नलिखित कहा है:

"153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाएगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूरी तरह स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य या स्थापित होनी चाहिए', न कि 'स्थापित हो सकती हैं'।जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहेबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एस. सी. सी. 793 में कहा था, 'साबित किया जा सकता है' तथा 'साबित किया

जाना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए' मध्य केवल एक व्याकरणिक ही नहीं परंतु एक कानूनी अंतर भी है।(एआईआर 1973 एससी 2622) में माना था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं:

'निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए तथा न केवल दोषी होना चाहिए तथा 'हो सकता है' तथा 'होना चाहिए' मध्य की मानसिक दूरी लंबी है तथा कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।'

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20.डॉ. अपोलिना एक्का के बयान, जीवविज्ञान परीक्षण रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट (प्रमाण पत्र पी-76) से, यह स्थापित होता है कि यद्यपि अपीलकर्ता की पूरी कमीज़ ("ओ"), मोटरसाइकिल की डिक्की ("आर"), या आरी ("ई 1") पर कोई खून नहीं पाया गया था, फिर भी मृतक के पेटीकोट ("आई"), अपीलकर्ता के किराए के परिसर ("के") से बरामद प्लास्टिक की जाली वाली सीमेंट की राख, दीवार के टुकड़े ("एल"), टाइलें ("एन"), जींस पैंट ("पी"), और बनियान ("क्यू") पर खून मौजूद था।डीएनए प्रोफाइलिंग से पता चला कि मृतक की हंसली की हड्डी (प्रमाणपत्र ए-1), रेडियस हड्डी और दाढ़ के दांत बी-1(ए,बी), अपीलकर्ता के कमरे से बरामद बाल (प्रमाणपत्र सी-1), मृतक के बेटे द्वारा प्रस्तुत बालों का गुच्छा (प्रमाणपत्र डी-1), और अपीलकर्ता के किराए के परिसर ("एन") से प्राप्त टाइलों के नमूने पूरी तरह से मेल खाते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि वे एक ही व्यक्ति, अर्थात् मृतक जमोत्री बाई के थे। इस प्रकार, उपरोक्त डीएनए रिपोर्ट से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अपीलकर्ता के किराए के परिसर से बरामद टाइलों ("एन") पर पाया गया खून और बाल (सी-1) मृतक जमोत्री बाई के हैं।

21. उपरोक्त साक्ष्यों की विवेचना से यह भी स्पष्ट है किअपीलकर्ता और मृतक विवाहित हैं और उनके बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे।अपीलकर्ता एक बस में कंडक्टर है और मृतक भी उसकी बस में यात्रा करता था और वहीं से दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे।पीडब्लू-29 नंदरानी चंद्रवंशी के कथन से यह भी स्पष्ट है कि मृतका का अपीलार्थी के साथ अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों को थी, लेकिन किसी ने भी अपीलार्थी से झगड़ा नहीं किया था और न ही पुलिस को अवैध संबंध की सूचना दी थी।

घटना दिनांक को मृतका पंडरिया गई थी और अपीलार्थी के घर गई थी। जब अपीलार्थी ने मिलने का विरोध किया तो उनके बीच विवाद हो गया, जिसके कारण अपीलार्थी ने मृतका को बिस्तर पर धकेल दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।इसके बाद, अपीलार्थी ने शव को कई टुकड़ों में काट दिया तथा साक्ष्य को गायब करने हेतु उसे जलाने की कोशिश की।

22.अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि घर, अर्थात घटनास्थल, मृतक के बेटे (एक्स. डी-1) द्वारा प्रस्तुत बालों का बंडल, और अपीलकर्ता के घर ("एन") की टाइलों के नमूने पूरी तरह मेल खाते थे, जिससे यह पुष्टि हुई कि वे एक ही व्यक्ति, यानी मृतक जमोत्री बाई के थे। इस प्रकार, अपीलकर्ता के घर से बरामद टाइलों ("एन") पर लगा खून और बाल (सी-1) मृतक जमोत्री बाई के हैं।आंध्र प्रदेश राज्य बनाम कंडा गोपालुडु एआईआर 2005 एससी 3616 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विचार करते हुए यह माना कि जब खून से सनी शर्ट की ज़ब्ती के विरुद्ध अभियोगात्मक सामग्री और एफएसएल रिपोर्ट से पता चलता है कि यह मानव रक्त है,तो यह एक अभियोगात्मक परिस्थिति होगी और जैसा कि **गंगा बाई बनाम राजस्थान राज्य(2016) 15 एससीसी 645** में कहा गया है, अपीलकर्ता को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि उनके पास से ज़ब्त किए गए कपड़ों और वस्तुओं में मानव रक्त कैसे था और सीआरपीसी की धारा 313 में, प्रश्न एफएसएल के संबंध में है, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और यह केवल इनकार था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. **महबूब अली और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2016) 14 एससीसी 640** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को तथ्य की ऐसी मानसिक स्थिति से निराकरण का अवसर मिला, जिसमें न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुप्रयोग के लिए, स्वीकारोक्ति कथन का स्वीकार्य भाग उस तथ्य के रूप में पाया जाना चाहिए जो बरामदगी का तत्काल कारण था, केवल वही कानूनी साक्ष्य का हिस्सा होगा, बाकी नहीं।साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में 'तथ्य' का उल्लेख है। 'तथ्य' शब्द को साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:---

“तथ्य "-" तथ्य "का अर्थ है तथा इसमें शामिल हैं -(1) कोई भी वस्तु, वस्तु की स्थिति, या वस्तु का संबंध, जो इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है;(2) कोई भी मानसिक स्थिति जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति सचेत है।दृष्टांत-(क) यह एक तथ्य है कि कुछ वस्तुएँ एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं।

(ख) यह एक तथ्य है कि एक व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा है।(ग) कि एक व्यक्ति ने कुछ शब्द कहे, यह एक तथ्य है।

(घ) कि एक व्यक्ति एक निश्चित राय रखता है, एक निश्चित इरादा रखता है, सद्भावना से कार्य करता है, या धोखाधड़ी से कार्य करता है, या एक विशेष अर्थ में एक विशेष शब्द का उपयोग करता है, या एक निर्दिष्ट समय पर किसी विशेष संवेदना के प्रति सचेत है या था, यह एक तथ्य है।

(ई) यह एक तथ्य है कि एक व्यक्ति की एक निश्चित प्रतिष्ठा होती है।"

25.कानून, तथ्यों और परिस्थितियों की उपरोक्त स्थापित स्थिति से, यह सुस्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपराध केवल अपीलकर्ता द्वारा ही किया गया था। अतः यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने जानबूझकर जमोत्री बाई की हत्या की, उसके शरीर के टुकड़े किए और सबूतों को मिटाने के लिए उसे जला दिया।इस प्रकार, हम विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं कि अपीलकर्ता–अभियुक्त ने ही मृतका/जमोत्री बाई की गला घोंटकर हत्या की थी और साक्ष्य मिटाने के लिए अपीलकर्ता ने मृतका के शरीर को कई टुकड़ों में काटा और उसे जलाने का प्रयास किया, जो जघन्य और अत्यंत क्रूरतापूर्ण है।यह कृत्य न केवल व्यक्तिगत पीड़ित के विरुद्ध अपराध है, बल्कि समुदाय के नैतिक और कानूनी ताने–बाने के विरुद्ध भी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26.इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है और तदनुसार, हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि अपीलकर्ता–अभियुक्त ही प्रश्नगत अपराध का रचयिता है।

27. पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा यह सुविचारित मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है, जिसमें इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

28. तदनुसार, दाण्डिक अपील खारिज कर दी जाती है।अपीलकर्ता को जेल में बताया गया है। उसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई जेल की सजा की शेष अवधि काटनी होगी।रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति उस जेल अधीक्षक को भेजे जहाँ अपीलकर्ता कारावास की दंड भुगत रहा है ताकि अपीलकर्ता को यह प्रति प्रेषित की जा सके और उसे सूचित किया जा सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

29. मूल अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु तुरंत विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

सही/-	**सही/-**
(रमेश सिन्हा)	**(बिभू दत्ता गुरु)**
मुख्य न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur